कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2673 / FP/UK/TRANS/35527/2018 :देहरादून:दिनांक: 17- 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत 220 के0वी डबल सर्किट लाईन व जौलजीबी में घौलीगंगा से बरेली 400 के0वी0 डबल सकिर्ट लाईन के निर्माण हेतु 58.449 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया लि00 को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/TRANS/35527/2018)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी/07/147/2018/एफ0सी0/1727 दिनांक 31–10–2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ के पत्रांक 2832/12–1 दिनांक 01–02–2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 116.865 है0 (घिघरानी 12.456 है0, सलोनी 18.703 हे0, सॉवलीसेरा 10.667 हे0, भेलिया 20.415 हे0 डोकुना 11.665 हे0, डॉगटी 21.645 हे0, चमतोली 21.304 हे0) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 3,58,32,860.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि guideline 2.4(i) के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का वन विभाग विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि का भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 5,24,28,753.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाईन के नीचे RoW के अन्दर जहां–जहां संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि धनराशि रू0 1,79,16,430.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 10,61,78,043.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है कि प्रस्ताव में 706 से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

17/4/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशाल, देहरादून।

संख्या / **FP/UK/TRANS/35527/2018** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, जौलजीबी, पिथौरागढ़।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशाल, देहरादून।